

## कार्यालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर

क्रमांक : स्था/02/2020/3225

दिनांक :- 17 अप्रैल, 2020

आदेश

मोटर वाहन अधिनियम से सम्बंधित अति-आवश्यक प्रकरणों की अत्यधिक बढ़ती संख्या को तथा सोशल डिस्टेंसिंग की पालना के निर्देशों को देखते हुए इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 3176 दिनांक 15.04.2020 को निम्न सीमा तक आंशिक रूप से संशोधित करते हुए कॉलम संख्या-2 में नामित न्यायिक अधिकारीगण के उनके न्यायालय के क्षेत्राधिकार से संबंधित सुपुर्दगी आवेदनों के अति-आवश्यक प्रकरणों की दिनांक 18.04.2020 से 03.05.2020 तक प्रत्येक कार्य दिवस के लिए सुनवाई हेतु निम्नानुसार व्यवस्था की जाती है :-

### (A) जयपुर मुख्यालय पर स्थित न्यायालयों हेतु

क्र०सं०	न्यायालय एवं पीठासीन अधिकारी का नाम जिन्हें अधिकृत किया गया है	कॉलम नं. 2 में अंकित अधिकारी के उपलब्ध न होने की स्थिति में लिंक अधिकारी का नाम	सी०यू०जी० मोबाईल नं० व ईमेल आईडी
1	2	3	
01	Sh. Mohit Vyas ACJ&MM No. 27	ACJ&MM No. 28	8279081629 mm27-jaip-rj@hcraj.nic.in
02	Sh. Dilip Kumar Saini ACJ&MM No. 28	ACJ&MM No. 29	8279081625 mm28-jaip-rj@hcraj.nic.in
03	Sh. Gajpal Singh ACJ&MM No. 29	ACJ&MM No. 27	8279081627 mm29-jaip-rj@hcraj.nic.in

यह स्पष्ट किया जाता है कि अति-आवश्यक प्रकरणों के अंतर्गत उन्हीं मामलों की सुनवाई की जावेगी जिनका उल्लेख माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के परिपत्र क्रमांक 14/पीआई/2020 दिनांक 14.04.2020 में किया गया है।

उपरोक्त सभी पीठासीन अधिकारीगण को निर्देशित किया जाता है कि:-

- 01 माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा जारी परिपत्र नम्बर 14/पी.आई./2020 दिनांक 14.04.2020 में दिये गये निर्देशों की आवश्यक रूप से अनुपालना करेंगे।
- 02 उनके समक्ष प्रस्तुत होने वाले आवश्यक प्रकृति के प्रकरणों का यथासंभव उसी दिन निस्तारण करके आदेश को सी०आई०एस० पर अपलोड करेंगे।
- 03 पीठासीन अधिकारीगण अपने अधीनस्थ कार्मिकों को कार्य की आवश्यकता अनुसार/रोटेशन अनुसार कार्य पर उपस्थित होने हेतु निर्देशित करेंगे।
- 04 इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 3089 दिनांक 23.03.2020, क्रमांक 3110 दिनांक 26.03.2020, क्रमांक 3131 दिनांक 31.03.2020 व क्रमांक 3176 दिनांक 15.04.2020 के द्वारा महानगर/अपर महानगर मजिस्ट्रेट स्तर के न्यायालयों के कार्य हेतु नामित न्यायालयों में उक्त तीनों न्यायालयों से सम्बंधित प्रस्तुत हुए मामले (निस्तारित/लम्बित) की न्यायालय अनुसार पृथक-पृथक सूची बनाई जाकर दिनांक 18.04.2020 को आवश्यक रूप से उक्त न्यायालयों को सुपुर्द किए जावे व पालना रिपोर्ट इस कार्यालय को भिजवाई जावे।
- 05 अन्य निर्देश इस कार्यालय द्वारा जारी आदेश क्रमांक 3176 दिनांक 15.04.2020 के अनुसार प्रभावी रहेंगे।

30/4  
जिला एवं सेशन न्यायाधीश  
जयपुर महानगर

17/4/2020

क्रमांक : स्था/02/2020/3225

दिनांक :- 17 अप्रैल, 2020

प्रतिलिपि सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

- 01 जयपुर मुख्यालय पर स्थित समस्त अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट/महानगर मजिस्ट्रेट/विशिष्ट महानगर मजि०(एन आई एक्ट कॅसेज) जयपुर महानगर
- 02 पुलिस आयुक्त, जयपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस संबंध में सभी आरक्षी केन्द्रों को सूचित करावें।
- 03 अध्यक्ष/सचिव, दी वार एसोसियेशन, वनीपार्क, जयपुर।
- 04 सहायक निदेशक अभियोजन प्रथम/द्वितीय, जयपुर महानगर।
- 05 सिस्टम ऑफिसर को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
- 06 नोटिस बोर्ड, न्यायालय हाजा
- 07 आदेश पत्रावली/संबंधित पत्रावली/रक्षित पत्रावली

30/4  
जिला एवं सेशन न्यायाधीश  
जयपुर महानगर

17/4/2020